

407

1
195/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-50-23

क्रमांक-195/2017

सं0 ई/310/1/भाग-सात/चार

दिनांक 21-09-2017

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-गम्भीर ट्रेन दुर्घटना की मीडिया रिपोर्टिंग।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2017/सेफ्टी(ए एण्ड आर)/19/19 दिनांक 01.09.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज

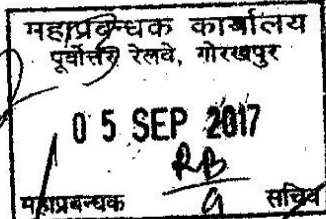
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

2/195/2017



Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

ALL PHODs, ALL DRMs
CRO

06.09.17

08/09/17

CPD/...

05/09/17

No.2017/Safety(A&R)/19/19

New Delhi dt. 05.09.2017

The General Managers,
All Indian Railways.

NE.R

Sub: Media reporting of serious train accidents .

It has been decided by CRB that in case of serious train accidents, interaction with media should be done only by Chairman Railway Board or by the concerned General Manager or by person(s) authorised on their behalf. Necessary instructions may be issued to all concerned.

This may be treated as **MOST URGENT.**

(Vinod Kumar)
Adviser/Safety
Railway Board

124

389

24/09/17

प्रचारक कार्यालय

11/9/17